



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927

No. 43]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 49(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन विनियम 2006 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) द्वितीय संशोधन विनियम, 2006

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38) की धारा 124 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 28 के खंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता के पत्तन के मंडल न्यासी कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1988 के संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक.— इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) द्वितीय संशोधन विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
2. कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1988 को अब से कोलकाता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1988 के नाम से जाना जाएगा।
3. कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियमों में :—

(ए) "कलकत्ता" शब्द जहाँ भी उद्धृत है, को "कोलकाता" के रूप में, पढ़ा जाएगा

(बी) विनियम 3(ए) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"न्यासीगण का तात्पर्य छ: न्यासियों के एक मंडल से है जिसमें कोलकाता पत्तन न्यास के पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, दो श्रम न्यासीगण तथा वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी होंगे जो उन विनियमों के अनुसार निधि के संचालन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास को उत्तरदायी होंगे जो इसके बाद नीचे दिए जा रहे हैं :"

(सी) विनियम 3(सी) से तात्पर्य उपाध्यक्ष (कोलकाता) तथा उपाध्यक्ष (हल्दिया) से है जो कोलकाता पत्तन न्यास के तत्कालीन रहेंगे।

(डी) एक नया विनियम 3(एच) को इस प्रकार सम्मिलित किया जाएगा :—

“ ‘श्रम न्यासीगण’ से तात्पर्य होगा कोलकाता पत्तन न्यास के तत्कालीन न्यासी मंडल में श्रम यूनियनों के प्रतिनिधिगण”।

(ई) विनियम 3 के उप-विनियम (डी), (ई), (एफ) व (जी) को विनियम 3 के क्रमशः (ई), (एफ), (जी) तथा (एच) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;

(एफ) विनियम 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“निधि का नियंत्रण छः न्यासियों के एक मंडल द्वारा उनके सदस्यों के बदले किया जाएगा जिसमें कोलकाता पत्तन न्यास के पदेन अध्यक्ष, कोलकाता व हल्दिया गोदी परिसर के दोनों उपाध्यक्षगण, दो श्रम न्यासीगण तथा वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी शामिल होंगे तथा वे विनियमों के अनुसार निधि के संचालन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास को उत्तरदायी होंगे जैसा कि इसके बाद वर्णित किया गया है।

निधि का प्रबंधन वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निधि के न्यासियों के नियंत्रणाधीन इसके मामलों से निपटेंगे।”

(जी) विनियम 5, में शब्दों “उपाध्यक्षों में से एक” को तृतीय वाक्य में “उपाध्यक्ष” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एच) विनियम 6 में, शब्दों “उपाध्यक्षों में से एक” को द्वितीय वाक्य में, “उपाध्यक्ष” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(आई) विनियम 18 में शब्दों “उपाध्यक्षों, में से एक” को प्रथम वाक्य के “उपाध्यक्ष” शब्द की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(जे) विनियम 25 में शब्दों, “उपाध्यक्षों में से एक” को “उपाध्यक्ष” शब्द की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(के) विनियम 29 में शब्दों, “उपाध्यक्षों में से एक” को प्रथम व द्वितीय दोनों पैरा के प्रथम वाक्य में “उपाध्यक्ष” शब्द की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पणी :— कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1988 की मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 1 जून, 1988 के सं. सा.का.नि. 669(अ) के तहत दी गई थी तथा 25 सितम्बर, 2000 के सं. सा.का.नि. 745(अ) के तहत इसका संशोधन किया गया था तथा 25 सितम्बर, 2000 को भारतीय राजपत्र असाधारण में इसका प्रकाशन किया गया था।

[फा. सं. पो आर-12016/22/2005-पीई-1]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Amendment Regulations, 2006 made by the Board of Trustees of Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

CALCUTTA PORT TRUST (NON-CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND) SECOND AMENDMENT REGULATIONS, 2006

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988:—

1. **Short Title**—These Regulations may be called the Calcutta Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Second Amendment Regulations, 2006.

2. The Calcutta Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988 will henceforth be known as Kolkata Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988.
3. In the Calcutta Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations.—
- (a) The word 'Calcutta' wherever appearing shall be read as 'Kolkata'.
- (b) Regulation 3(a) shall be substituted by the following :—
 "Trustees shall mean a Board of six Trustees consisting of the Chairman, Deputy Chairmen, two Labour Trustees and the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Kolkata Port Trust ex-officio who shall be responsible to the Kolkata Port Trust for the conduct of the Fund in accordance with the regulations hereinafter laid down."
- (c) Regulation 3(c) shall be substituted by the following :—
 "Deputy Chairman" shall mean the Deputy Chairmen (Kolkata) and Deputy Chairman (Haldia) for the time being of the Kolkata Port Trust.
- (d) A new Regulation 3(h) shall be inserted as follows :—
 "Labour Trustees" shall mean the representatives of the Labour Unions in the Board of Trustees of the Kolkata Port Trust for the time being."
- (e) Sub-Regulations (d), (e), (f) and (g) of Regulation 3 will be renumbered as (e), (f), (g) and (h) respectively of Regulation 3.
- (f) Regulation 4 shall be substituted by the following :—
 "The fund shall be controlled on behalf of its members by a Board of six Trustees consisting of the Chairman, both the Deputy Chairmen of Kolkata and Halida Dock Complex, two Labour Trustees and the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Kolkata Port Trust ex-officio, who shall be responsible to the Kolkata Port Trust for the conduct of the Fund in accordance with the regulations hereinafter laid down.
 The Fund shall be managed by the Senior Accounts Officer, who shall conduct its affairs subject to the control of the Trustees of the Fund."
- (g) In Regulation 5, the words "any of the Deputy Chairman" will replace the words "the Deputy Chairman" in the third sentence.
- (h) In Regulation 6, the words "any of the Deputy Chairman" will replace the words "Deputy Chairman" in the second sentence.
- (i) In Regulation 18, the words "any of the Deputy Chairman" will replace the words "Deputy Chairman" in the first sentence.
- (j) In Regulation 25, the words "any of the Deputy Chairman" will replace the words "Deputy Chairman".
- (k) In Regulation 29, the words "any of the Deputy Chairman" will replace the words "Deputy Chairman" in the first sentences of both 1st and 2nd paras.

Note :— The Calcutta Port Trust Employees' (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988 were sanctioned by the Central Government *vide* No. G.S.R. 667(E) dated 1st June, 1988 and were amended *vide* No. G.S.R. 745(E) dated 25th September, 2000 and published in the Gazette of India, Extraordinary on 25th September, 2000.

[F.No. PR-12016/22/2005-PE-1]

A.K. BHALLA, Jt. Secy.